[redacted]

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 09(05)(12–II) पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/10001 जयपुर दिनाक 12/9/18

कार्यालय आदेश

कतिपय मामलो में पाया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को आवश्यक दस्तावेज (आय प्रमाण पत्र)/कमी पूर्ति प्रस्तुत करने, यदि कोई हो, का अवसर दिये जाने का प्रावधान नही होने से निरस्त कर दिया जाता है। जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। यह निर्णय लिया गया है कि सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को व्यक्तिशः देखकर, प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र मे सलग्न कमिया होने पर भी उन्हें रिवर्ट/निरस्त नहीं कर आक्षेपित करेगा एवं आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर कमियो का उल्लेख करते हुए एस.एम.एस. (संदेश–1) भिजवायेगा व 15 दिवस मे आवेदन पत्र की कमियो की पूर्ति करने हेतु निर्देशित करेगा। यदि आवेदक के द्वारा उक्त अवधि में वांछित कार्यवाही कर पूर्ति नही की जाती है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2013 के नियम 12 मे प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन किये जाने का प्रावधान है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अटल सेवा केन्द्र/ई–मित्र कियोस्क या राज्य सरकार द्वारा वार्षिक सत्यापन हेतु निर्धारित अन्य सेवा केन्द्र पर पेंशनर स्वय उपस्थित होकर अंगुठा/अंगुली की छाप लगाकर बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन करवाये जाने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक किसी भी वित्तीय वर्ष मे समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाया है।अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि जिन पेंशन धारियों के द्वारा एक वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त भी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया है उन्हें वॉयस–एस.एम.एस (संदेश–2) भिजवाया जावे तथा सिस्टम मे इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे कि प्रत्येक ग्यारहवें महीने मे सम्बन्धित पेंशनर को वॉयस–एस.एम.एस (संदेश–3) भिजवाया जा सकें। भामाशाह सिस्टम से ई–संचार के माध्यम से भिजवाये जाने वाले वॉयस–एस.एम.एस की व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रगति से विभाग को अवगत करावें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवेदनकर्ताओं के विभिन्न स्तर पर लम्बित प्रकरणों मे एन.आई.सी के स्तर से निर्धारित समय सीमा से पूर्व आंकलन कर Rajssp.raj.nic.in पर पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित सत्यापन अधिकारी (जांच अधिकारी), स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं पेंशन आहरण वितरण अधिकारी (कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी) को उनके मोबाईल नंबर पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु एस.एम.एस (Message –4) भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। एन.आई.सी. के द्वारा इसकी रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पदस्थापित प्रोग्रामर (कम्प्यूटर प्रशाखा) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– संदेश प्रारूप

11/9
(कृष्ण कुणाल)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः एफ 09(05)(12–II) पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/10002-03 जयपुर दिनांक 12/9/18
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्री आई.डी. बरयानी (तकनीकी निदेशक), एन.आई.सी.वित्त भवन,जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (आई टी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)

Scanned by CamScanner

संदेश –1

श्री / श्रीमती / सुश्री .... पीपीओ नं .... आपको सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के साथ .... (आक्षेप संख्या 1 / 2 / 3) । कृपया उक्त आक्षेप की पूर्ति 15 दिवस में सुनिश्चित करें अन्यथा आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

आक्षेप के बिन्दु–

1. आय प्रमाण–पत्र पठनीय नहीं है।
2. आय प्रमाण–पत्र पर वांछित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है।
3. वांछित आय प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

वाणी संदेश –2

श्री / श्रीमती / सुश्री .... पीपीओ नं .... आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। जिस कारण से आपकी पेंशन का भुगतान रूक गया है। कृपया यथाशीघ्र सत्यापन करवा कर अपनी पेंशन पुनः प्रारम्भ करवाएं।

वाणी संदेश –3

श्री / श्रीमती / सुश्री .... पीपीओ नं. .... आपको सूचित किया जाता है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन की वार्षिक सत्यापन अवधि शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। कृपया पेंशन चालू रखने के लिए यथाशीघ्र वार्षिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

Message –4

Dear (name/dept of office), (No. of. Application) are pending with you since long time, Please take suitable action over them urgently.

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/2193 जयपुर दिनांक 22/5/19

परिपत्र

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के नियम 10 में प्रावधान है कि यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है तो उक्त अवधि की पेंशन राशि देय नहीं होगी। कुछ जिला कलक्टर्स द्वारा 11 माह से अधिक अवधि के स्टॉप पेंशन के ऐसे प्रकरणो में, जिनके निस्तारण में 11 माह से अधिक का विलम्ब हुआ है, के संबंध में मार्गदर्शन चाहे जाने पर विभाग के पत्र क्रमांक एफ 09 (05) (12–I)सासुपे/पेंशन नियम/सान्याअवि/ 2013–14/45029 दिनांक 01.08.2017 के द्वारा उनमें स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा नियमों में वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हुए संक्षिप्त जांच उपरान्त नियमानुसार दो वर्ष की कालावधि की पेंशन राशि की बकाया का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

स्टॉप पेंशन के ऐसे प्रकरण जिनमें किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की पेंशन वार्षिक सत्यापन के अभाव में रूकी हुई है, उनमें पेंशनर द्वारा ई–मित्र कियोस्क/राजीव सेवा केन्द्र पर आधार आधारित भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन कराये जाने पर, जिस दिन सत्यापन करवाया जाता है, तो उसे जीवित होने का प्रमाण पत्र मानते हुए, सत्यापन की तिथि को देय समस्त बकाया पेंशन राशि का भुगतान पोर्टल से स्वतः ही देय हो जायेगा। इस संबंध में वर्तमान में प्रभावी नियमों के अन्तर्गत संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (कोषाधिकारी), पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी (जिला कलक्टर) एवं राज्य स्तर से पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात जितनी भी अवधि की बकाया पेंशन राशि देय होगी उसका स्वतः ही पेंशन पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियो को भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त लाभ हस्तान्तरित किये जा रहे है, अतः यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऐसे लाभार्थी द्वारा, जो वर्ष में एक बार भी यदि राशन की दुकान पर स्वय के बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त राशन प्राप्त करता है, को जीवितता प्रमाण–पत्र हेतु पृथक से बायोमैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें / पेंशन नियम / सान्याअवि / 2014–15 / 2194–744 जयपुर दिनांक 22/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. विशिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग / ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग / कृषि विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
6. जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग / वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ऐसे लाभार्थियों की जानकारी कर विभागीय डाटाबेस में भामाशाह डाटाहब के माध्यम से अद्यतन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
11. संयुक्त निदेशक (आई टी) / एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner